मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक /स्था/मुप्रनिबो/2016 भोपाल, दिनांक

कार्यालय आदेश

राज्य बोर्ड की 140 वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी 2016 में लिये गये निर्णय अनुसार पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से तथा म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विरूद्ध विभिन्न उद्योगों/संस्थानों द्वारा मान्नीय उच्चतम न्यायालय, मान्नीय उच्च न्यायालय एवं विभिन्न जिला न्यायालयों में बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ताओं को आदेश जारी करने के दिनांक के पश्चात् ली गई सेवाओं हेतु निम्नानुसार पारिश्रमिक भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र	न्यायालय	स्वीकृत फीस
1	मान्नीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली	25000/– प्रति पेशी 10000/–
2	वरिष्ठ अधिवक्ता मान्नीय उच्च न्यायालय, जबलपुर	50000/–
3	मान्नीय सत्र न्यायाधीश/ अति. सत्र न्यायाधीश	10000/– प्रतिपेशी 300/–
4	मान्नीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी	8000/– प्रतिपेशी 300/–
5	मान्नीय उच्चतम न्यायालय एवं मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकारण में विचाराधीन प्रकरणों में विशेष परिस्थितियों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सेवायें लिये जाने पर अथवा प्रकरणों में प्रतिदिन सुनवाई होने पर अधिवक्ता द्वारा मांगे गये पारिश्रमिक के भुगतान की स्वीकृति हेतु अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिकृत किया गया।	
6	अधिवक्ताओं द्वारा अपने कार्यालय से बाहर की यात्रा करने पर बोर्ड के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समान यात्रा भत्ता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।	
7	उक्त शुल्क में अन्य एवं विविध व्यय भी सम्मलित हैं जिसका भुगतान दो किश्तों में निम्नानुसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई : (प्रथम किश्त) प्रकरण में बोर्ड की ओर से प्रकरण दायर करने/ बोर्ड का उत्तर प्रस्तुत करने पर (द्वितीय किश्त) प्रकरण में मान्नीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने पर किया जायेगा।	

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ0 क्रमांक 392 /स्था/मुप्रनिबो/2016 भोपाल, दिनांक 26-3-16

प्रतिलिपिः–

1 समस्त शाखा प्रभारी/समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

2 आईटी शाखा/गार्ड फाईल/आदेश नस्ति ।